

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2013

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक १५ अप्रैल, 2014

—: आदेश :—

डॉ० एस०पी० सिंह, आई.ए.एस, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 21/2014 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2020 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर उनकी पात्रता से एक श्रेणी निम्न राजकीय आवास संख्या A/36 गांधीनगर, जयपुर का निर्वाचित विभाग की प्राप्त सहमति के अनुसरण में नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(राजीव जैन)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलकटर, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी अशास्त्रीय संख्या मु.मं-विशेषाधिकारी (एस)/प-2सप्रवि/जय/14/27750 दिनांक 04.04.2014 के क्रम में।
8. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नौटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग को उनके पत्र संख्या एफ. 3 (1) (5) प्रथम/निर्वाचन/2014/6466 दिनांक 24.4.2014 के क्रम में।
16. डॉ० एस०पी० सिंह, आई.ए.एस, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
17. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
19. अतिरिक्त निजी सचिव, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
20. रक्षित पत्रावली।

मुन्नालाल शर्मा 28/4/14
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

SSC

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2013

जयपुर, दिनांक /६ अप्रैल, 2014

—: आदेश :—

श्री अशोक सिंघवी, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, दिल्ली—मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर एवं विशेषाधिकारी, भिवाडी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 20/2014 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.9.2019 है, का निजी आवास होने की स्थिति में उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर राजकीय आवास संख्या 7, अस्पताल रोड, जयपुर का निर्वाचन विभाग की प्राप्त सहमति के अनुसरण में नियमों के परिप्रेक्ष्य में सामान्य किराये के तीन गुणा किराया दर भुगतान की शर्त पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तेः—

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की अज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

SS7

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
- 2 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 3 संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ. 3(1)(5)प्रथम/निर्वाचन/2014/5804 दिनांक 16.4.2014 के क्रम में।
- 4 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 5 मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7 श्री अशोक सिंधवी, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर एवं विशेषाधिकारी, भिवाड़ी औद्धोगिक विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- 8 विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ 14002797 दिनांक 11.4.2014 के क्रम में।
- 9 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव को उनके आई.डी. संख्या 1801/सीएस/1/14 दिनांक 3.4.2014 के क्रम में।
- 10 वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 12 अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, हीराबाग/गांधीनगर, जयपुर।
- 13 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पातना को भी अमल में लावें।
- 14 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 15 सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 16 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
- 17 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 18 प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर।
- 19 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- 20 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव